



04/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
पत्रावली वास्ते सादरपत्तरी दि 26/05/25 को
पेश हो।


09/4/25

26/5/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी अनुपस्थित।
वादी भी अनुपस्थित। तीन बार कक-कक
कर आवाज लगाई गई, लेकिन कोई भी उपस्थित
नहीं हुआ। अतः प्रकरण को अन्तर्गत आदेश
9 नियम 8 CPC अदम हजिरी अदम पैरवी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाह
तामील तफमील दाखिल इफ्तार हो।




26/5/25
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

